न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारी— श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 8/2019

बउनवान

केदारलाल आयु 58 साल पुत्र श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां **(रैंस्पोडेंटगण)**

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.09.84 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कोटा, अपील अन्तर्गत धारा 75 ले0 रे0 एक्ट

उपस्थिति :— 1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री ओम प्रकाश मेहता II अभि0 **(रैस्पो. क्रम—1)**

निर्णय दिनांक 21.02.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पो. क्रम 1 आपस में सगे भाई हैं तथा अपीलांट ने खसरा नंबर 1303/1801 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि व रेस्पो. क्रम 1 ने खसरा नंबर 1303 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके माल रायथल में जर्ये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 20.07.1984 को क्रय की थी जो 0.59 है. दोनो के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी। आराजी क्रय करने के उपरान्त अपीलान्ट के खाते में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कोटा ने अपने आदेश दिनांक 28.09.84 से हाल खसरा नंबर 714/1985 रकबा 0.37 है. दर्ज की और इस प्रकार 0.22 है. भूमि रिकार्ड में कम दर्ज की गई जबकि 0.59 है. भूमि दर्ज होनी चाहिये थी। और इसी प्रकार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.09.84 से रेस्पो. क्रम 1 के खाते में 3 बीघा 14 बिस्वा के स्थान पर 0.63 है. दर्ज की गई जो 0.04 है. बेशी दर्ज की गई। अपीलांट के खाते में 0.22 है. आराजी कम करके दर्ज की गई थी, उसमे से 0.18 है. भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा [illegible] दिनांक 28.03.2018 पारित करके अपीलांट के खाते में 0.18 है. भूमि और दर्ज [illegible] इस प्रकार अपीलांट के खाते में 0.55 है. आराजी हो गई जो अभी भी 0.04 है. [illegible] रेस्पो0 क्रम 1 के खाते मे क्रयशुदा आराजी 3 बीघा 14 बिस्वा [illegible] है. दर्ज हो रही है ज[illegible]59 है. भूमि दर्ज होनी चाहिए थी इस प्रकार 0.04 है. भूमि [illegible] दर्ज हो रही है। रेस्[illegible] 1 के खाते से 0.04 है. भूमि कम करके अपीलांट के खाते में 0.04 है. दर्ज करने से अपीलान्ट व रेस्पो0 क्रम 1 दोनो के बराबर बराबर आराजी 0.59, 0.59 है. हो जावेगी। अतः अपील

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:40 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 28.09.84 को अपास्त करते हुए रेस्पो0 क्रम 1 के खाते में दर्ज आराजी खसरा नंबर 714 रकबा 0.63 है. वाके माल रायथल तह0 मांगरोल में से 0.04 है. आराजी कम करके अपीलान्ट के खाते दर्ज की दर्ज की जाकर कुल आराजी 0.59 है0 की जावे। रेस्पो0 क्रम 1 के खाते में ख0 नं0 714 रकबा 0.59 है. दर्ज की जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट क्रम–1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोंडेंट क्रम–1 की सुनी। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 दोनो सगे भाई हैं। दोनो ने 3 बीघा 14 बिस्वा, 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि जर्ये बेचान रजिस्टर्ड क्रय की। अपीलांट ने खसरा नंबर 1303/1801 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि व रेस्पो. क्रम 1 ने खसरा नंबर 1303 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके माल रायथल में जर्ये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 20.07.1984 को क्रय की थी जो 0.59 है. दोनो के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी। आराजी क्रय करने के उपरान्त अपीलान्ट के खाते में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कोटा ने 0.59 है. के स्थान पर हाल खसरा नंबर 714/1985 रकबा 0.37 है. दर्ज की और इस प्रकार 0.22 है. भूमि रिकार्ड में कम दर्ज की गई। और इसी प्रकार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.09.84 से रेस्पो. क्रम 1 के खाते में 3 बीघा 14 बिस्वा अर्थात 0.59 है. के स्थान पर 0.63 है. दर्ज की गई जो 0.04 है. बेशी दर्ज की गई। अपीलांट के खाते में 0.22 है. आराजी कम करके दर्ज की गई थी, उसमे से 0.18 है. भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 28.03.2018 पारित करके अपीलांट के खाते में 0.18 है. भूमि ओर दर्ज कर दी इस प्रकार अपीलांट के खाते में 0.55 है. आराजी हो गई जो अभी भी 0.04 है. कम दर्ज की गई है। रेस्पो0 क्रम 1 के खाते मे क्रयशुदा आराजी 3 बीघा 14 बिस्वा के स्थान पर 0.63 है. दर्ज हो रही है जबकि 0.59 है. भूमि दर्ज होनी चाहिए थी इस प्रकार 0.04 है. भूमि बेशी दर्ज हो रही है। रेस्पो0 क्रम 1 के खाते से 0.04 है. भूमि कम करके अपीलांट के खाते में 0.04 है. दर्ज करने से अपीलान्ट व रेस्पो0 क्रम 1 दोनो के बराबर बराबर आराजी 0.59, 0.59 है. हो जावेगी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 28.09.84 को अपास्त करते हुए रेस्पो0 क्रम 1 के खाते में दर्ज आराजी खसरा नंबर 714 रकबा 0.63 है. वाके माल रायथल तह0 मांगरोल में से 0.04 है. आराजी कम करके अपीलान्ट के खाते दर्ज की दर्ज की जाकर कुल आराजी 0.59 है0 की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:59:40 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक [illegible] ने कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में [illegible] अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं धारा 136 एल. आर.एक्ट न्यायालय उपखण्ड [illegible] तहसीलदार मांगरोल से मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में दिनांक 28.03.2018 को निर्णित पारित किया जाकर अपीलांट के कमी रकबे 0.18 है. की पूर्ति कर अपीलांट के खाते में 0.55 है. भूमि दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना में प्रार्थी के 0.18 है. भूमि और खाते में दर्ज

जिला कलक्टर बारां (राज.)

हो गयी। इसके पश्चात केचमेंट में अपीलांट की भूमि कम हुई। अपील नामान्तकरण एक समरी ट्रायल है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा दावे में अधिकार तय की जा चुके हैं। साथ ही कथन किया कि नामान्तकरण अपील के माध्यम से रेस्पोडेन्ट के खाते से किस प्रकार भूमि कम करके अपीलांट के खाते में दर्ज की जा सकती है, यह अपीलांट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। नामान्तकरण अपील के माध्यम से रकबे की कमी पूर्ति किये जाने से संबंधित कोई कानून नहीं है। अतः अपील खारिज फरमावें।

इस पर रिपीटल में वकील अपीलांट ने कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के निर्णय से अपीलांट को पूर्ण अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नामान्तकरण अपास्त कर प्रकरण रिमांड कर दिया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया अपीलांट द्वारा प्रसंगत आराजीयात में अपने खाते कम दर्ज हुई आराजी की पूर्ति हेतु नामान्तकरण की अपील पेश की है, जबकि अपील नामान्तरकण के माध्यम से रकबे की कमी पूर्ति नहीं की जा सकती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत कर रकबे में 0.22 है. की पूर्ति चाही थी जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर तहसीलदार मांगरोल से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में अपीलांट के कमी रकबे 0.22 है. के स्थान पर 0.18 है. की पूर्ति कर दी गयी है। अपीलांट यदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के निर्णय दिनांक 28.03.2018 से प्राप्त अनुतोष से संतुष्ट नहीं थे तो उन्हे सक्षम न्यायालय में उक्त आदेश के विरूद्ध चाराजोही करना चाहिये था। चूंकि नामान्तकरण एक समरी ट्रायल व फिसकल (Fiscal) कार्यवाही है, जिसके माध्यम से रकबे की कमी पूर्ति को घोषणा नहीं की जा सकती है। अपीलांट के मूल अधिकार घोषणात्मक वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा तय किये गये हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण सारहीन होने से खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के निर्णय दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.02 10:39:40 IST
Reason: SelfAttested